



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABA PARWEEN W/O SEEBU KHAN

पता A.22/41 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210016-- Property Id. 1A220273001

Latitude 25.32241369230

Longitude 83.02375818210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/41 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **20,412.0** व सामान्य कर **2,245.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,040.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3120,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,496.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,587.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,587.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,595.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Firija Begam

पता A.22/32-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210015-- Property Id. 1A220274001

Latitude 25.32243424000

Longitude 83.02369547660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/32-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,467.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,467.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	931.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdul Majeed

पता A.22/31-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220020-- Property Id. 1A220274002

Latitude 25.32243424000

Longitude 83.02369547660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/31-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,088.0** व सामान्य कर **120.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	613.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 192,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	154.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,161.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,161.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	128.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BRAMHA PRAKASH SINGH S/O PARASHU RAM SINGH

पता A.22/40-A-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210012-- Property Id. 1A220279001

Latitude 25.32255292570

Longitude 83.02376532730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/40-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,821.0** व सामान्य कर **640.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,048.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,048.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	665.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI GOPAL LAL S/O LAXMI NARAYAN

पता A.22/37 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210004-- Property Id. 1A220282001

Latitude 25.32268122020

Longitude 83.02385808130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/37 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,558.0** व सामान्य कर **171.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,024.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,024.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	333.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUMAN DEVI W/O SUJIT KUMAR

पता A.22/37-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210003-- Property Id. 1A220284002

Latitude 25.32272467030

Longitude 83.02391499020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/37-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,254.0** व सामान्य कर **578.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	896.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 896,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	717.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,419.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,419.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	596.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI ASHOK KUMAR YADAV S/O SHRI MATTAR YADAV

पता A.21/1-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210005-- Property Id. 1A220285001

Latitude 25.32271587700

Longitude 83.02405008800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.21/1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,026.0** व सामान्य कर **2,643.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,192.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,192.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,661.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Katwaru Seth

पता A.22/36-B Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210002-- Property Id. 1A220285002

Latitude 25.32271587700

Longitude 83.02405008800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/36-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,280.0** व सामान्य कर **801.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,268.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,548.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,548.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	830.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHARDA PRASAD JAISWAL S/O LATE BADRI PRASAD JAISWAL

पता A.22/36-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210001-- Property Id. 1A220287001

Latitude 25.32280818850

Longitude 83.02391608210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/36-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,532.0** व सामान्य कर **719.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,584.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,584.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,164.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SEKH MD.KASIM AHAMAD KHAN W/O ENAYAT KHAN

पता A.23/37-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07230027A Property Id. 1A220288001

Latitude 25.32274449140

Longitude 83.02391680660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.23/37-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,686.0** व सामान्य कर **405.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SADHANA DEVI W/O BHARAT LAL

पता A.22/76-A-S Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220096A Property Id. 1A220001001

Latitude 25.32136882260

Longitude 83.02328073180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/76-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,287.0** व सामान्य कर **252.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	274.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 297,C= 77	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	238.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,437.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,437.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	378.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI AFTAB AHAMAD

पता A.22/81-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220055-- Property Id. 1A220002001

Latitude 25.32136557510

Longitude 83.02305805340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **31,752.0** व सामान्य कर **3,493.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 800,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,264.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,264.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,659.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKUNTALA DEVI W/O LATE RAJKUMAR, NANDLAL S/O LATE

पता A.22/76-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220096-- Property Id. 1A220003001

Latitude 25.32141348240

Longitude 83.02328198470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/76-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,570.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	280.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 460, C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	368.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,548.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,548.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	390.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAIBUNISHA W/O SAMAD IMTEYAZZ AHMAD ASLAM PARWEJ ALIAS

पता A.22/79+79-1+79-2+79-3 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220093-- Property Id. 1A220004001

Latitude 25.32139195490

Longitude 83.02332093330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/79+79-1+79-2+79-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **25,750.0** व सामान्य कर **2,833.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,562.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,562.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,032.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI LAXMAN PRASAD GUPTA S/O LATE JAGANNATH PRASAD GUPTA

पता A.22/73 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220163-- Property Id. 1A220005001

Latitude 25.32141571180

Longitude 83.02367629720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/73 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,577.0** व सामान्य कर **1,933.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,248.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,248.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,007.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHANDRAWATI DEVI W/O KEDAR NATH

पता A.22/76-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220097-- Property Id. 1A220006001

Latitude 25.32141130110

Longitude 83.02339217260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/76-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,359.0** व सामान्य कर **259.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	390.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 970,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	776.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,413.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,413.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	815.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAROJ GUPTA W/O AJAY KUMAR GUPTA

पता A.22/81-A-4 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220056-- Property Id. 1A220008001

Latitude 25.32140559420

Longitude 83.02318380090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,340.0** व सामान्य कर **1,247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	630.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1890,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,969.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,969.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,647.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT MINESAR DEVI W/O LATE MEVA LAL,RANNO DEVI ,CHINTA DEVI

पता A.22/66 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220165-- Property Id. 1A220010003

Latitude 25.32147439950

Longitude 83.02385019830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/66 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 832.0 व सामान्य कर 92.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,293.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,562.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,562.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	502.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI GOPAL LAL YADAV S/O LATE KASHI NATH YADAV.SANTOSH

पता A.22/72 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220166-- Property Id. 1A220010004

Latitude 25.32147439950

Longitude 83.02385019830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/72 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,495.0** व सामान्य कर **274.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,293.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	352.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,788.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,788.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	307.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UMA DEVI W/O RAJESH KUMAR VERMA & SRI SUSHMA DEVI W/O SRI

पता A.22/66-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220164-- Property Id. 1A220010005

Latitude 25.32147439950

Longitude 83.02385019830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/66-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,814.0** व सामान्य कर **200.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,293.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 850,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	39,046.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	39,046.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,295.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PARWATI DEVI W/O MADAN LAL

पता A.22/69 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220168-- Property Id. 1A220011001

Latitude 25.32149276860

Longitude 83.02396126240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/69 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,886.0** व सामान्य कर **1,197.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,700.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,700.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,267.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MUTAWALI, HUMAYOU AHAMAD OTHERS

पता A.22/81-1 TO 6 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220053-- Property Id. 1A220012001

Latitude 25.32141992860

Longitude 83.02286368880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-1 TO 6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **25,061.0** व सामान्य कर **2,757.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	7,610.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 396	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,659.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,659.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,932.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Late Jalaluddin
पता A.22/81-B Jugultola
नया वार्ड W055 Prahalad Ghat
MIS Id. 07220054-- Property Id. 1A220012003

पुराना वार्ड W049 मोबाईल नं०
Latitude 25.32141992860 Longitude 83.02286368880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 0.0 व सामान्य कर 0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	464.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 464	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,236.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,236.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,436.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT DURGA DEVI W/O SHRI VANGUR SARDAR

पता A.22/69-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं० 9561411000

MIS Id. 07220167-- Property Id. 1A220013001

Latitude 25.32152064550

Longitude 83.02405887880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/69-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,703.0** व सामान्य कर **1,287.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,601.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,601.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,476.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHAMD S/O SARFUDDIN

पता A.22/81-A-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220051A Property Id. 1A220027001

Latitude 25.32144145320

Longitude 83.02305615830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,067.0** व सामान्य कर **447.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,575.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 690,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	552.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,173.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,173.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	459.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUNITA JAISWAL W/O SRI OM PRAKASH JAISWAL

पता A.22/78-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220092-- Property Id. 1A220030001

Latitude 25.32151544880

Longitude 83.02316491800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/78-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,377.0** व सामान्य कर **921.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,016.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,241.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,241.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,677.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DR RAMA TIWARI W/O SRI AJAY KUMAR TIWARI

पता A.22/81-A-2 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220058-- Property Id. 1A220031001

Latitude 25.32155051240

Longitude 83.02304149010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,024.0** व सामान्य कर **333.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TULSIRAM S/O LATE ANANT RAM ALIAS ANTU RAM

पता A.22/81-A-5 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220059-- Property Id. 1A220035001

Latitude 25.32157708430

Longitude 83.02304276210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,857.0** व सामान्य कर **754.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	480.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,152.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	958.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT PRABHAWATI DEVI W/O LATE LAXMI NARAYAN,ANIL KUMAR

पता A.22/63-C Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220158-- Property Id. 1A220039001

Latitude 25.32156337320

Longitude 83.02393247890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/63-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,994.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	525.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1575,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,260.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,526.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,526.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,048.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI GOPI NATH YADAV S/O KASHI NATH YADAV VINAY KUMAR

पता A.22/63-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220156-- Property Id. 1A220040001

Latitude 25.32156416400

Longitude 83.02397249280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/63-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,558.0** व सामान्य कर **171.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	325.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 650,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,931.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,931.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	432.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHID ALI S/O MOBIN KHAN

पता A.22/78-1-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220091A Property Id. 1A220041002

Latitude 25.32157939500

Longitude 83.02315052700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/78-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,254.0** व सामान्य कर **1,018.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,368.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Government Offices	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 1368	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	52,745.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	52,745.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,912.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT LILA DEVI W/O KAILASH NATH

पता A.22/76 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220094-- Property Id. 1A220042001

Latitude 25.32150067770

Longitude 83.02331249400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/76 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,642.0** व सामान्य कर **511.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	883.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 816,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	653.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,935.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,935.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	543.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Rakbal Ahamad

पता A.22/81-A-6 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220060-- Property Id. 1A220044001

Latitude 25.32160742320

Longitude 83.02304548220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,574.0** व सामान्य कर **503.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	420.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	639.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT ATAWARI DEVI W/O LATE JAWAHIR, SMT.BUDHNI DEVI W/O

पता A.22/64 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220162-- Property Id. 1A220048001

Latitude 25.32161620690

Longitude 83.02373692110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/64 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,079.0** व सामान्य कर **229.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	471.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,024.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,024.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	333.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DEVENDRA KUMAR, AKHILESH KUMAR SS/O BHARAT PRASAD

पता A.22/76-J Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220094A Property Id. 1A220049001

Latitude 25.32163997960

Longitude 83.02339188940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/76-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,901.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	390.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1170, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	936.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,845.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,845.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	973.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAGUFTA YASMIN W/O LATE AKIL AHAMAD WASIM AHAMAD SAKIL

पता A.22/82 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220061-- Property Id. 1A220051001

Latitude 25.32164241180

Longitude 83.02280147340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/82 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,282.0** व सामान्य कर **1,131.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,176.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,451.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,451.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,810.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SANTOSH,GANGA,DEEPAK, SS/O GANESHU SARDAR

पता A.22/63-D Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220159-- Property Id. 1A220053001

Latitude 25.32160173500

Longitude 83.02388797430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/63-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,052.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1050,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,350.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,350.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	699.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT SURJA DEVI W/O SHRI PARASNATH

पता A.22/62-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं० 9451290512

MIS Id. 07220154-- Property Id. 1A220054001

Latitude 25.32165999360

Longitude 83.02395069770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/62-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,283.0** व सामान्य कर **251.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	210.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	336.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,540.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,540.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	279.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MUNNA LAL S/O LATE SWAMI NATH

पता A.22/56-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220161-- Property Id. 1A220056001

Latitude 25.32166615150

Longitude 83.02370811280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/56-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,886.0** व सामान्य कर **1,197.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	680.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,176.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,451.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,451.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,810.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALLU S/O LATE RAMPAT RAM

पता A.22/62-A-2 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220152A Property Id. 1A220059001

Latitude 25.32168484340

Longitude 83.02396141140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/62-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,722.0** व सामान्य कर **299.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	375.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	499.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI BACHCHA LAL S/O LATE SWAMI NATH

पता A.22/61 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220150-- Property Id. 1A220064001

Latitude 25.32168810830

Longitude 83.02382132530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/61 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,798.0** व सामान्य कर **1,078.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	964.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,282.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,282.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,131.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AHMAD JAFAR AALAM S/O BADRE AALAM KURAISHI ADVOCATE

पता A.22/50 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220108A Property Id. 1A220068001

Latitude 25.32174127650

Longitude 83.02279977850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/50 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,807.0** व सामान्य कर **199.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	378.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 378,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	302.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,858.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,858.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	314.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.PARVATI DEVI W/O GOPAL DAS

पता A.22/60 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220151-- Property Id. 1A220070001

Latitude 25.32174536870

Longitude 83.02393240460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/60 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,165.0** व सामान्य कर **898.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,096.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,096.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PAPPU KUMAR YADAV S/O LATE MANGRU YADAV

पता A.22/56-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220150A Property Id. 1A220081001

Latitude 25.32183970640

Longitude 83.02374906770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/56-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,526.0** व सामान्य कर **1,048.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	680.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2040,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,632.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,880.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,880.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,527.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI ABDUL KARIM S/O KHAN SAHAB, SHEKH MOHD UMAR

पता A.22/86 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220088-- Property Id. 1A220088001

Latitude 25.32184946580

Longitude 83.02329135200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/86 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,297.0** व सामान्य कर **1,133.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,030.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,030.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT MINA DEVI W/O MANGAL PD JAISWAL

पता A.22/76-A-B Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220089-- Property Id. 1A220088002

Latitude 25.32184946580

Longitude 83.02329135200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/76-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,285.0** व सामान्य कर **1,351.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,209.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 360,C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	288.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,361.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,361.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,360.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI KALIKA PRASAD S/O LATE RAM NARAYAN

पता A.22/57 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220144-- Property Id. 1A220091001

Latitude 25.32185660230

Longitude 83.02384292140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,446.0** व सामान्य कर **1,259.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,497.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI RAJA RAM ,JITTU KALWAR S/O GOPAL

पता A.22/56 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220146-- Property Id. 1A220091002

Latitude 25.32185660230

Longitude 83.02384292140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,326.0** व सामान्य कर **366.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	878.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ATIURHAMAN,AJIJURHAMAN SS/O MOHD.YASHIN

पता A.22/85+85-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220064-- Property Id. 1A220092001

Latitude 25.32185726110

Longitude 83.02314526270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/85+85-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,547.0** व सामान्य कर **720.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,710.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,736.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,684.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,684.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,275.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM S/O WAJIR AHAMD

पता A.22/87 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220087A Property Id. 1A220093001

Latitude 25.32190659260

Longitude 83.02335986870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/87 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,800.0** व सामान्य कर **968.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Gopal Prasad Vishavkarma

पता A.22/95-6 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220049-- Property Id. 1A220096002

Latitude 25.32192186170

Longitude 83.02275843670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/95-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI GANESH PRASAD S/O JAGNNATH PRASAD

पता A.22/52 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220103-- Property Id. 1A220098001

Latitude 25.32192743510

Longitude 83.02350145630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/52 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,911.0** व सामान्य कर **320.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,629.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,629.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	399.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Sahil Parvin

पता A.22/95-S Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220048-- Property Id. 1A220100002

Latitude 25.32177536740

Longitude 83.02296203490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/95-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,663.0** व सामान्य कर **183.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	10,826.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 288,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	230.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,742.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,742.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	192.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI ATIURAHAMAN S/O MD.YASIN

पता A.22/84 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220065-- Property Id. 1A220100003

Latitude 25.32177536740

Longitude 83.02296203490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/84 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,448.0** व सामान्य कर **269.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	10,826.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1368,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,094.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,274.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,274.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	910.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAULAT,BINDU S/O LATE LAXMI NARAYAN

पता A.22/95 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220045-- Property Id. 1A220101001

Latitude 25.32196987510

Longitude 83.02275896550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/95 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,145.0** व सामान्य कर **346.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	442.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHOEB AHAMAD S/O NAJIR AHAMAD

पता A.22/87-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220087-- Property Id. 1A220102001

Latitude 25.32196023510

Longitude 83.02335199360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/87-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,865.0** व सामान्य कर **755.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,650.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4950,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,938.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,938.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,293.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHOEB AHMAD S/O NAZIR AHMAD

पता A.22/88 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220085-- Property Id. 1A220102002

Latitude 25.32196023510

Longitude 83.02335199360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/88 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,131.0** व सामान्य कर **674.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,920.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,072.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,224.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,224.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,555.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt Chameli

पता A.22/95-B Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220047-- Property Id. 1A220110002

Latitude 25.32200645880

Longitude 83.02276419390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/95-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,344.0** व सामान्य कर **258.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,467.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,467.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	931.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI GIRDHARI LAL S/O SHRI BULAKI

पता A.21/8 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220105-- Property Id. 1A220111001

Latitude 25.32197626730

Longitude 83.02367567790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.21/8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,443.0** व सामान्य कर **599.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KUSUM YADAV W/O BINOD KUMAR YADAV

पता A.22/95-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220046-- Property Id. 1A220121001

Latitude 25.32205604380

Longitude 83.02276412220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/95-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,834.0** व सामान्य कर **752.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	769.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1144,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	915.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,919.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,919.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	761.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O MOHD BASIR

पता A.27/91 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07270027-- Property Id. 1A220124001

Latitude 25.32200149990

Longitude 83.02306052150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.27/91 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,149.0** व सामान्य कर **566.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISHTIAQ AHMAD ASHFAQ AHMAD S/O LT. VAKIL AHMAD MALA

पता A.22/91-K-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220083-- Property Id. 1A220124002

Latitude 25.32200149990

Longitude 83.02306052150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/91-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,048.0** व सामान्य कर **665.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,861.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2112,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,690.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,773.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,773.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,405.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAHIR AALAM S/O BADRE AALAM KURAISHI ADVOCATE

पता A.22/91 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220082-- Property Id. 1A220124003

Latitude 25.32200149990

Longitude 83.02306052150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/91 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,192.0** व सामान्य कर **2,661.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,861.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4032,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,226.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,386.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,386.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,682.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAVELA BANO

पता A.22/51 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220109A Property Id. 1A220132001

Latitude 25.32203586690

Longitude 83.02353891780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/51 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,082.0** व सामान्य कर **449.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,165.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,165.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	898.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AHMAD JAFAR AALAM S/O BADRE AALAM KURAISHI ADVOCATE

पता A.22/27 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220086-- Property Id. 1A220136001

Latitude 25.32207836490

Longitude 83.02336203620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,096.0** व सामान्य कर **1,331.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,330.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,330.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,796.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SAHNAWAJ KHAN S/O LATE MD. HANIF

पता A.22/93 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220080-- Property Id. 1A220137001

Latitude 25.32210864610

Longitude 83.02318904130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/93 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,820.0** व सामान्य कर **1,080.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI HAMIDUULA

पता A.22/49 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220108-- Property Id. 1A220142001

Latitude 25.32211052260

Longitude 83.02369863430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/49 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,225.0** व सामान्य कर **905.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	972.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 972,C= 972	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	778.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,439.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SHEKH MOHD MUSHHA, SHEKH MOHD KALIMULLA, MUS. KANTA

पता A.22/92 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220081-- Property Id. 1A220146001

Latitude 25.32213536580

Longitude 83.02305228240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/92 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,886.0** व सामान्य कर **1,197.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3620, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,896.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,894.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,894.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,408.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD IDRISH, VALI MOHD, MD. YASIN SS/O LATE MOHD SALIM

पता A.22/48 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220107-- Property Id. 1A220154001

Latitude 25.32217365940

Longitude 83.02360640620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,225.0** व सामान्य कर **905.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2100, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJUNNISA ALIAS RUBI W/O MAKSOOD AALAM

पता A.22/28 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220078-- Property Id. 1A220158001

Latitude 25.32219254400

Longitude 83.02343954240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/28 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,355.0** व सामान्य कर **479.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,072.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,072.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	998.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI AFTAB AHMAD S/O MOHD HANIF KHAN, SMT.HASHMI PARVIN

पता A.22/26 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220079-- Property Id. 1A220169001

Latitude 25.32225220320

Longitude 83.02329171870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,225.0** व सामान्य कर **905.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 4500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,994.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SALMA KHATOON W/O LATE NAUSHAD

पता A.22/25-A-B Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220072A Property Id. 1A220169002

Latitude 25.32225220320

Longitude 83.02329171870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/25-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,838.0** व सामान्य कर **532.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O ABDUL RAHMAN & MUS.AYASHA KHATUN W/O

पता A.22/47-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220115-- Property Id. 1A220172001

Latitude 25.32224116810

Longitude 83.02363844590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/47-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,996.0** व सामान्य कर **220.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	380.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 450,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,722.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,722.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	299.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SHIV SHARAN, SIYA SHARAN, HARI SHARAN SS/O LATE RAM JI

पता A.22/31 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220077-- Property Id. 1A220195001

Latitude 25.32233174100

Longitude 83.02352958680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,010.0** व सामान्य कर **1,871.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2520, C= 180	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,016.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	30,618.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	30,618.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,368.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt Jarina Bebi
पता A.22/16 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220073-- Property Id. 1A220199002

Latitude 25.32240773160

Longitude 83.02330674510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/16 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,370.0** व सामान्य कर **481.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	252.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 756,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	605.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,572.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,572.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	503.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASEED S/O ABDUL HAMEED

पता A.22/16-R Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220073A Property Id. 1A220200001

Latitude 25.32240856320

Longitude 83.02327471540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/16-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,512.0** व सामान्य कर **166.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	375.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,670.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,670.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	624.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHARIB AAJMI, FAISAL AAJMI, FARHAN AAJMI ALIAS RINKU SS/O

पता A.22/32 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220075-- Property Id. 1A220208001

Latitude 25.32241468530

Longitude 83.02357936540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,258.0** व सामान्य कर **798.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,072.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,072.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	998.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHARIB AAJMI, FAISAL AAJMI, FARHAN AAJMI ALIAS RINKU SS/O

पता A.22/13 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220021-- Property Id. 1A220209001

Latitude 25.32244020500

Longitude 83.02339677810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,676.0** व सामान्य कर **734.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTKIM AHAMD & NEYAZ AHAMD PESRAN HAJI WALI

पता A.22/33-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220015-- Property Id. 1A220215001

Latitude 25.32248154790

Longitude 83.02359889900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/33-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,723.0** व सामान्य कर **630.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	325.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1252,C= 48	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,002.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,497.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,497.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	935.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.JAINAB BIBI W/O LATE CHHOTAK,BAKRIDU,SHAUKAT SS/O

पता A.22/33 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220018-- Property Id. 1A220222001

Latitude 25.32251112790

Longitude 83.02361802330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/33 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,245.0** व सामान्य कर **687.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	412.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,532.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,532.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	719.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJI AMRIT LAL ASHOK KUMAR RAJESH KUMAR

पता A.22/33-A-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220018A Property Id. 1A220222002

Latitude 25.32251112790

Longitude 83.02361802330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/33-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,536.0** व सामान्य कर **499.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	324.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Government	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 972	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	37,476.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	37,476.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,122.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT JAHIDA KHANAM W/O LATE ABDUL SALAM & SAMSHI

पता A.22/20 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220030-- Property Id. 1A220225001

Latitude 25.32252124690

Longitude 83.02306974820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,165.0** व सामान्य कर **898.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI ABDUL JALIL

पता A.22/18 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220027-- Property Id. 1A220226001

Latitude 25.32251829110

Longitude 83.02330338380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **22,982.0** व सामान्य कर **2,528.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 5000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	30,240.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	30,240.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,326.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABANA TABASSUM, FARJANA TABASSUM DD/ ABDUL BARI, FARAJ

पता A.22/18-S Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220027A Property Id. 1A220228001

Latitude 25.32255376110

Longitude 83.02323688290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/18-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,653.0** व सामान्य कर **732.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1116, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	893.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,750.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,750.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	743.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SHAMBHU NATH S/O GAURI SHANKAR

पता A.22/34-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220017-- Property Id. 1A220230001

Latitude 25.32255841950

Longitude 83.02363889710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/34-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,609.0** व सामान्य कर **617.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,395.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,395.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,143.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI JAHEED ALI KHAN

पता A.22/12-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220022-- Property Id. 1A220231001

Latitude 25.32256221260

Longitude 83.02350154010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/12-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,583.0** व सामान्य कर **394.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,512.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1512,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,210.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,145.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,145.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,006.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT SHEELA DEVI W/O SINGHASAN SETH

पता A.22/34-A-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220016-- Property Id. 1A220233001

Latitude 25.32261419680

Longitude 83.02366415000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/34-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,370.0** व सामान्य कर **481.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOEB AHAMD & MOHD SERA KHAN SS/O ABDUL SAMAD

पता A.22/12-A-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220022A Property Id. 1A220236001

Latitude 25.32264570850

Longitude 83.02348013940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/12-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,782.0** व सामान्य कर **306.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	540.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 540,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,266.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,266.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	359.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DEEPAK KUMAR S/O LATE BAIJNATH PRASAD

पता A.22/34 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220076-- Property Id. 1A220237001

Latitude 25.32265562020

Longitude 83.02367507070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/34 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,749.0** व सामान्य कर **852.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,120.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,120.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,663.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SANDHYA GUPTA W/O VIKAS GUPTA

पता A.22/35 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220014-- Property Id. 1A220238001

Latitude 25.32267893550

Longitude 83.02369510490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/35 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,535.0** व सामान्य कर **1,379.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALEEM S/O ABDUL RAUF

पता A.22/9 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220001A Property Id. 1A220239001

Latitude 25.32266410590

Longitude 83.02315687470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **972.0** व सामान्य कर **107.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,994.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR JAHAN BIBI W/O LAL CHAND

पता A.22/8-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220001A Property Id. 1A220240001

Latitude 25.32266660300

Longitude 83.02324513820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/8-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,629.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 760,C= 590	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	608.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	42,509.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	42,509.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,676.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTARI BEGUM W/O ABDUL MATIN

पता A.22/8-M Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220001D Property Id. 1A220240002

Latitude 25.32266660300

Longitude 83.02324513820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/8-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,402.0** व सामान्य कर **374.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	638.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 660,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	528.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,990.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,990.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	549.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt Mina Yadav

पता A.22/34-B-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220013-- Property Id. 1A220243001

Latitude 25.32270177260

Longitude 83.02370178250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/34-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,122.0** व सामान्य कर **343.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL NASIR,HABIB AHMAD SS/O JANAB ABDUL HAMID

पता A.22/6 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220004-- Property Id. 1A220248001

Latitude 25.32278924220

Longitude 83.02338292470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,255.0** व सामान्य कर **138.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SAMIM S/O MOHD SAHID ALIAS BANGUR

पता A.22/8 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220001-- Property Id. 1A220249001

Latitude 25.32276726700

Longitude 83.02320838470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,112.0** व सामान्य कर **452.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 200,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMTIYAJ AHMAD,RAIS AHMAD,NASIM AHMAD,TANVIR

पता A.22/3 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220011-- Property Id. 1A220250001

Latitude 25.32276546900

Longitude 83.02373094230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,169.0** व सामान्य कर **679.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,650.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 850,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,993.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,993.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,979.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT HAMIDUNNISHA W/O WAKIL AHAMD

पता A.22/11 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220005-- Property Id. 1A220253001

Latitude 25.32274482700

Longitude 83.02355650690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,701.0** व सामान्य कर **1,397.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,515.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,515.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,597.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAJANAND GUPTA S/O LATE KAILASH NATH GUPTA

पता A.22/4-B-1+4-B Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220012-- Property Id. 1A220253002

Latitude 25.32274482700

Longitude 83.02355650690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/4-B-1+4-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,677.0** व सामान्य कर **1,064.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,950.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2312,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,850.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,983.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,983.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,538.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAKIL AHAMD

पता A.22/5 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220006A Property Id. 1A220256001

Latitude 25.32285052090

Longitude 83.02345101740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,463.0** व सामान्य कर **1,151.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1300,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	36,779.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	36,779.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,046.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT JARINA BEGUM W/O ABDUL VAKI

पता A.22/15 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220006-- Property Id. 1A220257001

Latitude 25.32287321030

Longitude 83.02351307550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **907.0** व सामान्य कर **100.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	827.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 160,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	968.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	968.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	106.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT DULARI DEVI W/O LATE BAIJU RAM,SARV PRAKASH

पता A.22/4-A-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220007-- Property Id. 1A220259001

Latitude 25.32289879050

Longitude 83.02362184020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/4-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,247.0** व सामान्य कर **1,347.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,170.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1170,C= 1170	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	936.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,152.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,152.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,557.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GOPAL

पता A.22/3-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220013A Property Id. 1A220260001

Latitude 25.32288025280

Longitude 83.02370579620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,165.0** व सामान्य कर **898.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,596.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Cli	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3192,C= 1596	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,554.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	83,253.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	83,253.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,488.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADAN LAL KESHRI

पता A.22/2-3-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220005A Property Id. 1A220260002

Latitude 25.32288025280

Longitude 83.02370579620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/2-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **36,742.0** व सामान्य कर **4,042.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4000,C= 2000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,55,736.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,55,736.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	23,360.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMTEYAZ AHMAD & RAIS AHAMD TANWEER AHMAD MD ZUBER &
पता A.22/1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220010-- Property Id. 1A220261001

Latitude 25.32287018930

Longitude 83.02382310770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **46,267.0** व सामान्य कर **5,089.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4440,C= 1710	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,552.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,43,451.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,43,451.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	21,518.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNI DEVI W/O SHRI PASHUPATI NATH JAYSAWAL

पता A.22/62-A-1 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220155-- Property Id. 1A220265001

Latitude 25.32164406330

Longitude 83.02395091150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/62-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,079.0** व सामान्य कर **229.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	210.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 430,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	344.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,810.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,810.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	419.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJWAN AHMAD S/O LATE SARFUDDIN AHMAD

पता A.22/81-A-3 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220057-- Property Id. 1A220272001

Latitude 25.32150570480

Longitude 83.02304818030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/81-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **36,892.0** व सामान्य कर **4,058.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	950.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,808.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,808.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,269.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASANTI D/O HIRA LAL

पता A.22/65 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220163A Property Id. 1A220029002

Latitude 25.32150506450

Longitude 83.02323535430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/65 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,814.0** व सामान्य कर **200.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	304.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 304,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	243.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,839.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,839.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	202.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SEKH MOHD KALIMUDDIN

पता A.22/23,24 Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07220071-- Property Id. 1A220154002

Latitude 25.32217365940

Longitude 83.02360640620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/23,24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **36,742.0** व सामान्य कर **4,042.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Other	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 1800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	81,648.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	81,648.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,247.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT TARA DEVI W/O MODI RAM ASHOK KUMAR DEEPU SURENDRA

पता A.22/40-A-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210014A Property Id. 1A220228002

Latitude 25.32255376110

Longitude 83.02323688290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/40-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,629.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 627,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	502.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,792.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,792.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	417.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAYELA BANO W/O JUBER AHAMD KHAN

पता A.22/51-A Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं० 9415203228

MIS Id. 07220109A Property Id. 1A220232002

Latitude 25.32261616920

Longitude 83.02347638560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/51-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,629.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 609,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	487.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,683.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,683.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	405.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUNIL KUMAR S/O LATE NAND LAL

पता A.22/37-A-K Jugultola

नया वार्ड W055 Prahalad Ghat

पुराना वार्ड W049

मोबाईल नं०

MIS Id. 07210003A Property Id. 1A220260003

Latitude 25.32288025280

Longitude 83.02370579620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.22/37-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,914.0** व सामान्य कर **541.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,292.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,292.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	582.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय